

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर राजस्थान
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी दीपक मेहता, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

अनवान

1. श्रीरामलाल पिता मावजी मीणा
2. श्रीमति झमकू पिता मावजीमीणा
3. श्रीमति मीरा पिता मावजी मीणा
निवासी तैलया तहसील डूंगरपुर

बनाम

1. श्री शंकर पिता खेमा रोत
2. श्री भंवर पिता रमेश रोत
3. श्री नाथू पिता खेमा रोत
4. श्री मगन पिता नाथू रोत
निवासी तैलया तहसील डूंगरपुर
5. भूमिघाटी (तहसीलदार) डूंगरपुर

दाया बायत स्टार्ड निवेद्याज्ञा अन्तर्गत धार्य 188/209 R.T.A

मुकदमा नम्बर :- 97/2017

निर्णय दिनांक :- 01/05/2018

वादी की ओर से रामलाल, झमकू एवं मीरा निवासी तैलया की व प्रतिवादी की ओर से शंकर एवं नाथू निवासी तैलया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01/05/2018 को दीपक मेहता पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकरी दी जाती है कि :- मौजा तैलया पटवार हल्का डोजा तहसील डूंगरपुर के खाता स 107 नई 85 पुरानी के खसरा न 1051/56 रकबा 4 बीघा एवं खसरा न 1163/56 रकबा 15 बीघा का वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में सीमा जानकारी करवाई जाये, यदि वादी की जमीन पर प्रतिवादी का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादी स्वयं उसको हटाये। तहसीलदार डूंगरपुर को सीमा जानकारी करवाने हेतु लिखा जाये।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दीपक मेहता)

पीठासीन उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	